

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्कल भवन भोपाल-462004

क्रमांक- एफ-73- 123 /20-3/ 2003

भोपाल, दिनांक 3/3/06

प्रति,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशाO संस्था को सी. बी. एस्. ई. / आई सी एस्. ई. से सम्बद्धता हेतु एन. ओ. सी. देने बाबत ।

===00===

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था शामिल कर्नेट द्वारा सेलेक्टरी स्कूल उन्नाई जिला मण्डल को सी. बी. एस्. ई. / आई सी. एस्. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक {परीक्षा} को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीति सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर.... 2 पर....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

**। आर. आर. अहिरवार ।**  
उपर सचिव

मध्यप्रदेश ज्ञासन, स्कूल शिक्षा विभाग


पू.ठांकन क्रमांक एफ. 73-123/20-3/2004

भोपाल, दिनांक - 3/3/04

प्रतिलिपि :-


1. आधुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - **शहडोल म.प्र.**।
3. प्राचार्य, अज्ञात **श्रीमता अमला शहडोल स्कुल अज्ञात**।
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

  
3/03/04  
उपर सचिव

मध्यप्रदेश ज्ञासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//  
03.07.04

  
PRINCIPAL  
Amlai Convent Sr. Sec. School  
Amlai, Shahdol (M.P.)